



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2504]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2015/अग्रहायण 3, 1937

No. 2504]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2015/AGRAHAYANA 3, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

**का.आ. 3158(अ).**—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1192 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2001, का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 और का.आ. 1097(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए के 4.230 कि.मी. से 117.750/4.000 कि.मी., 4.000 कि.मी. से 16.350 कि.मी. (जालंधर से पठानकोट सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण को खण्डों के उपयोग के लिए निम्न प्रकार से यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत किया था: [पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए के 4.230 कि.मी. से 117.750/4.000 कि.मी., 4.000 कि.मी. से 16.350 कि.मी. (जालंधर से पठानकोट सेक्शन) तक का.आ. संख्या 650(अ), तारीख 04 मार्च, 2014 द्वारा]।

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, राजमार्ग संख्या-1ए के 4.230 कि.मी. से 117.750/4.000 कि.मी., 4.000 कि.मी. से 16.350 कि.मी. तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) जालंधर-पंजाब/जम्मू-व-कश्मीर सीमा सेक्शन के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर, 13.02.2015 को प्रस्तुत बोली के लिए मैसर्स प्रकाश एसफालटिंग्स एण्ड टोल हाइवेज (इंडिया) लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 76, माल रोड, महु, मध्य प्रदेश, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ 30.09.2015 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा.का.नि. 838(अ), तारीख 05.12.2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और बोली प्रस्तुत करने की तारीख तक इसमें किए गए संशोधनों सहित, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 2926(अ), तारीख 27.09.2013 तथा का.आ. सं. 650(अ), तारीख 04 मार्च, 2014 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की ली गई हैं अथवा करने से लोप करा दी गई हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर, सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 123.128 कि.मी. (2.73946 कि.मी. की उन संरचनाओं को छोड़कर जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई 27.3946 कि.मी. जो उन संरचनाओं की कुल लम्बाई 2.73946 कि.मी. के अनुरूप है, चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को

और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जो भी बाद में हो, करार में यथाविनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक उक्त शुल्क को संग्रहीत एवं प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है:

**सारणी 1**

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
4.	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
5.	भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
6.	बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
होशियारपुर जिले में गांव चोलांग के पास रासा-1ए का 34.500 कि.मी.	65.108 (नीचे पैरा-2 में उल्लिखित संरचनाओं की 661.90 मीटर लम्बाई को छोड़कर)
होशियारपुर जिले में गांव हरसा मानसर के पास रासा-1ए का 84.500 कि.मी.	58.020 (नीचे पैरा-2 में उल्लिखित संरचनाओं की 2077.56 मीटर लम्बाई को छोड़कर)

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	*सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)
होशियारपुर जिले में गांव चोलांग के पास रासा-1ए का 34.500 कि.मी.	0.6619	6.619
होशियारपुर जिले में गांव हरसा मानसर के पास रासा-1ए का 84.500 कि.मी.	2.07756	20.7756

\* ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

रासा-1ए के 34.500 कि.मी. पर चोलांग टोल प्लाजा

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	(चैनेज) कि.मी.	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (मीटर में)	स्थायी पुल/संरचना की प्रकृति और अवस्थान
होशियारपुर जिले में गांव चोलांग के पास रासा-1ए का 34.500 कि.मी.	28+938	136.800	बड़ा पुल
	49+345	110.000	बड़ा पुल
	54+175	97.200	बड़ा पुल
	57+615	97.200	बड़ा पुल
	59+505	154.200	बड़ा पुल
	62+433	66.500	बड़ा पुल
		661-900	

रासा-1ए के 84.500 कि.मी. पर हरसा मानसर टोल प्लाजा

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	(चैनेज) कि.मी.	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (मीटर में)	स्थायी पुल/संरचना की प्रकृति और अवस्थान
होशियारपुर जिले में गांव हरसा मानसर के पास रासा-1ए का 84.500 कि.मी.	88+445	672.00	बड़ा पुल
	103+772	84.060	बड़ा पुल
	109+956	264.600	बड़ा पुल
	110+615	71.000	पलाइओवर
	114+019	67.500	बड़ा पुल
	14+265	67.500	बड़ा पुल
	15+636	850.900	बड़ा पुल
		2077-560	

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2015-16 के लिए मासिक पास की दर 230.00 रुपए (दो सौ तीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें हर वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमाम्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास अथवा अधिक यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास अथवा अधिक	संदाय के समय से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसे यांत्रिक वाहन की श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए ।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर पर आधारित, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा तथा इसके पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में किए गए पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा ।

10. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से परियोजना की वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत 1114.01 करोड़ रुपए (एक हजार एक सौ चौदह करोड़ एक लाख रुपए मात्र) है। वाणिज्यिक पलाचन की तारीख से, टोल का संग्रहण रियायतग्राही द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार लागू दरों पर तथा बोली की नियत तारीख तक उसमें किए गए संशोधन तक किया जाएगा। पूंजीगत लागत की वसूली रियायत शुल्क के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को एनपीवी निकालने हेतु 12% प्रतिवर्ष की दर से छूट देते हुए की जाएगी। परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की अनन्तितम तारीख 15.11.2015 है। जिस दिन पूंजीगत लागत की वसूली हो जाएगी, उस दिन के बाद टोल दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा। रियायत शुल्क को भी घटाकर देय राशि का 40% कर दिया जाएगा। और रियायत करार के खण्ड 21.1.1 के अनुसार 10% की वार्षिक वृद्धि लागू होगी। यदि किसी कारण से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को पहले कर दिया जाता है स्थगित कर दिया जाता है तो वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत का फिर से हिसाब लगाया जाएगा और इसके बारे में इंजीनियर/स्वतंत्र इंजीनियरों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख के बाद 30 दिनों के अन्दर रियायतग्राही को सूचित किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/690/सीओ/15-16/जीसी जालंधर-पंजाब/जम्मू और कश्मीर सीमा (ओएमटी)]

नीरज वर्मा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

**S.O. 3158(E).**—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1192(E), dated 3<sup>rd</sup> December, 2001, S.O. 465(E), dated 26<sup>th</sup> April, 2002 and S.O.1097(E), dated 04<sup>th</sup> August, 2005 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government, has entrusted the section of National Highway from km. 4.230 to km 117.750/4.000, km. 4.000 to km. 16.350 (Jalandhar to Pathankot Section) of National Highway No. 1A in the States of Punjab and Himachal Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows: [vide S.O. No. 650(E), dated 04<sup>th</sup> March, 2014 for the stretch

from km. 4.230 to km. 117.750/4.000, km. 4.000 to km. 16.350 (Jalandhar to Pathankot Section) of National Highway No. 1A in the States of Punjab and Himachal Pradesh].

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 30.09.2015 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Prakash Asphaltings & Toll Highways (India) Ltd., having registered office at 76, Mall Road, Mhow, Madhya Pradesh, India (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), for the bid submitted on 13.02.2015 for the Operation and Maintenance of Jalandhar–Punjab/J&K Border section of NH-1A from km. 4.230 to km. 117.750/4.000, km. 4.000 to km. 16.350 (hereinafter referred to as the “said section”) on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published *vide* G.S.R. 838(E) dated 05.12.2008 and its amendment till bid submission date and in supersession of the Notification Number S.O. 2926(E) dated 27.09.2013 and S.O. No. 650(E), dated 04th March, 2014, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of the said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said Section at the rates specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 123.128 km. (excluding 2.73946 km. of structures having length more than 60m) and equivalent highway length of 27.3946 km. corresponding to structures having total length of 2.73946 km. for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the said fees on and from the date of commercial operation declared by the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

**TABLE**

Type of vehicle	Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (In rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for each such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km.) for which Fee is payable
Km. 34.500 of NH-1A, near village Chollang in Hoshiarpur District	65.108 (Excluding 661.90 m length of structures indicated in Para-2 below)
Km. 84.500 of NH-1A, near village Harsa Mansar in Hoshiarpur District	58.020 (Excluding 2077.56 m length of structures indicated in Para-2 below)

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km.)
Km. 34.500 of NH-1A, near village Chollang in Hoshiarpur District	0.6619	6.619
Km. 84.500 of NH-1A, near village Harsa Mansar in Hoshiarpur District	2.07756	20.7756

\* The details are as under:-

## Chollang Toll Plaza at km. 34.500 of NH-1A

Location of Toll Plaza (chainage)	Chainage (km.)	Length of structures (in m) to be converted into equivalent road length	Nature and location of permanent bridge/structure
Km. 34.500 of NH-1A, near village Chollang in Hoshiarpur District	28+938	136.800	Major Bridge
	49+345	110.000	Major Bridge
	54+175	97.200	Major Bridge
	57+615	97.200	Major Bridge
	59+505	154.200	Major Bridge
	62+433	66.500	Major Bridge
		<b>661.900</b>	

## Harsa Mansar Toll Plaza at km 84.500 of NH-1A

Location of Toll Plaza (chainage)	Chainage (km.)	Length of structures(in m) to be converted into equivalent road length	Nature and location of permanent bridge/structure
Km. 84.500 of NH-1A, near village Harsa Mansar in Hoshiarpur District	88+445	672.000	Major Bridge
	103+772	84.060	Major Bridge
	109+956	264.600	Major Bridge
	110+615	71.000	Flyover
	114+019	67.500	Major Bridge
	14+265	67.500	Major Bridge
	15+636	850.900	Major Bridge
		<b>2077.560</b>	

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred Thirty only) for the year 2015-16, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rule.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rule.

9. Based on the base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised and published annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of Fee.

10. The present value of Capital Cost of the Project to be recovered from the date of COD is 1114.01 crore (Rupee One Thousand One Hundred Fourteen crore and one lakh only). From the Commercial Operation Date (COD) toll shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and further amendments till bid due date. The Capital Cost shall be recovered through Concession Fee by discounting @ 12% per annum to arrive at NPV as on the date of commercial operation (COD). The tentative COD for the project is 15.11.2015. After the day on which the Capital Cost is recovered the toll rates chargeable shall be reduced to 40% of rate being charged. The Concession Fee shall also be reduced to 40% of the amount payable and annual increment of 10% as per Clause 21.1.1 of Concession Agreement shall be applicable. In case, due to any reason, COD is advanced/postponed, the Capital Cost to be recovered shall be reworked and intimated to the Concessionaire within 30 days after actual COD, by the Engineer/Independent Engineers.

[F. No. NHAI/13013/690/CO/15-16/GC Jalandhar-Punjab/J&K Border (OMT)]

NIRAJ VERMA, Jt. Secy.